



उप आवासन आयुक्त,  
वृत्त-.....  
राजस्थान आवासन मण्डल,

फोटो  
नोटेरी/राजपत्रित  
अधिकारी से  
सात्यापित

विषय :- मृत्यु पश्चात् पंजीकरण हस्तान्तरण हेतु।

संदर्भ :- पंजीकरण वरियता/आवास संख्या .....

महोदय,

पंजीकृत प्रार्थी/आवंटी श्री/श्रीमती..... की मृत्यु दिनांक  
..... को हो चुकी है। मैं मृतक की उत्तराधिकारीणी/उत्तराधिकारी हूँ। अतः मेरे नाम  
पंजीकरण/आवंटन हस्तान्तरण करने के आदेश फरमाये जावें, मेरे अतिरिक्त मृतक के निम्न  
पुत्र/पुत्रियां/विधवा पत्नी/माता पिता व अन्य वारिसान के नाम निम्नलिखित हैं: -

पुत्र .....  
पुत्री .....  
विधवा पत्नि .....  
माता .....  
पिता .....  
अन्य .....

भवदीय

हस्ताक्षर : .....

नाम : .....

पता : .....

मो. नं. ....

दिनांक :-

संलग्न :-

1. मेरा शपथ पत्र
2. मृत्यु प्रमाण पत्र
3. क्षतिपूर्ति बंधक पत्र
4. उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
5. अन्य उत्तराधिकारियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र।
6. नाम हस्तान्तरण हेतु प्रशासनिक शुल्क 2000/- रुपये एवं GST 18% देय होगा।

नोट :- 1. आवेदक स्वयं, घोषणाकर्ताओं व क्षतिपूर्ति बंधक पत्र के गवाहों के पहचान पत्रों की  
सात्यापित छायाप्रति अवश्य संलग्न करें।

2. घोषणा पत्र का स्टाम्प घोषणाकर्ताओं के नाम से क्रय करें।

15.07.20 से..

केवल 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर

### क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र

यह क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र आज दिनांक ..... माह ..... सन् ..... को एक ओर से श्री/श्रीमती ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ..... जो एतद् द्वारा पश्चात् प्रथम पक्ष कहलायेगा जिसके अर्थ में अब तक प्रसंग में विरोध नहीं हो, उसके उत्तराधिकारी/पदोत्तरवती अभिहस्ताकनकर्ता सम्मिलित होंगे एतद् पश्चात् दूसरे भाग का पक्ष कहलायेगी, जिसके अर्थ में जब तक कोई विरोध नहीं हो उसके कार्यालय में अभिहस्ताकनकर्ता और उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे।

चूँकि मृतक श्री/श्रीमती ..... ने दूसरे भाग के पक्ष को किराया क्रय पद्धति या नकद भुगतान के आधार पर आवंटन हेतु आवेदन किया है।

कृपया देखें अनुसूची ए ..... इसका आवंटन पत्र दिनांक ..... चूँकि मृतक के नाम दिनांक ..... को इसके संलग्न 'क' में विशेष रूप से वर्णित गृह का आवंटन किया गया है।

चूँकि प्रथम भाग के पक्ष की यह इच्छा है कि इस आवंटन का हस्तान्तरण यह कहते हुए कि वह प्रथम भाग के पक्ष के मृतक श्री/श्रीमती ..... का कानूनी उत्तराधिकारी है, उसके नाम कर दिया जावे।

चूँकि द्वितीय भाग के पक्ष हस्तान्तरण पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यह कि प्रथम पक्ष का दूसरे भाग के पक्ष की समस्त प्रकार की घटनाओं, हानियों, हानि के क्लेमों जो कि इस प्रकार के आवंटन से होंगे कि क्षतिपूर्ति करने को तैयार हो।

अब यह सलेख निम्न प्रकार साक्ष्य रूप में निष्पादित किया है कि प्रथम भाग का पक्ष स्पष्ट असंदिग्ध रूप से यह घोषित करता है कि प्रथम भाग का पक्ष, मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी है। मृतक श्री/श्रीमती ..... का प्रथम भाग का पक्ष अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है।

प्रथम भाग का पक्ष एतद् द्वारा स्पष्ट रूप से इसका दायित्व लेता है कि यदि प्रथम भाग के पक्ष के नाम पर इस परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाले आवंटन पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपत्ति उठाने से कोई नुकसान हानि या क्लेम उत्पन्न हो तो प्रथम भाग का पक्ष उसकी पूर्ति और पुनः पूर्ति करेगा और इस प्रकार से हुये समस्त नुकसान हानियाँ, क्लेम हेतु वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा और वह दूसरे भाग के पक्ष को इसकी प्रतिपूर्ति एवं हर्जाना अदा करेगा और इस संबंध में उत्पन्न होने वाली समस्त आपत्तियों का उत्तरदायी होगा कि प्रथम भाग का पक्ष इस पर सहमत है कि दीवानी दायित्व के अतिरिक्त फौजदारी और ऐसी ही अन्य कार्यवाही का दायित्व जिसे दूसरे पक्ष संबंध में प्रथम पक्ष के विरुद्ध चलावे का उत्तरदायित्व उस पर होगा।

यह कि प्रथम भाग को पक्ष उसे श्री/श्रीमती ..... के उत्तरदायित्व के रूप में जो मकान आवंटित हुआ है के संबंध में किराया क्रय पद्धति का निरन्तर देके संबंधी इकरार नामों के समस्त मदों एवं शर्तों का वह पालन करेगा।

यह कि प्रथम भाग का पक्ष आगे इस पर भी सहमत है इस मकान संबंधित जो भी किराते देय हो या समय-समय पर जो भी किराते देय होगी उन सबका वह भुगतान द्वितीय भाग के पक्ष को करता रहेगा।

यह कि प्रथम भाग का पक्ष ऊपर संदर्भित आवंटित के संबंध में द्वितीय भाग के पक्ष से संबंधित जो भी नियम विनियम व कानूनी होंगे, उनका वह पालन करेगा।

### अनुसूची-“ए”

पंजीकरण/आवंटन का विवरण :-

साक्ष्य के रूप में क्रमशः प्रथम भाग के पक्ष और द्वितीय भाग के पक्ष ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

साक्षी :- 1. नाम ..... प्रथम भाग का पक्ष  
पता .....

साक्षी :- 2. नाम ..... द्वितीय भाग का पक्ष  
पता .....

मृत्यु उपरांत नामांतरण हेतु 15.07.20

केवल 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर

शपथ पत्र

श्री/श्रीमती/कु ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री .....  
निवासी .....

एतद द्वारा शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ।

1. यह कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी ..... ने आवासन  
मण्डल में मकान/फ्लैट हेतु आवेदन किया था, जिसका पंजीकरण/आवंटन संख्या .....  
..... कॉलोनी..... स्थान .....  
..... हैं।
2. उक्त पंजीकरण/आवंटन पत्र पर आवासन मण्डल द्वारा श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
..... को मकान संख्या ..... स्थान .....  
..... हैं। आवासन मण्डल द्वारा आवंटन पत्र दिनांक ..... संख्या .....  
..... आवंटित कर दिया है, जिस पर वर्तमान में श्री/श्रीमती ..... का  
कब्जा है।
3. उक्त पंजीकरण आवेदक/आवंटी का देहान्त दिनांक ..... को हो गया है  
और मृतक के निम्न उत्तराधिकारी हैं:-

(क) पुत्र 1..... 2..... 3.....  
.....  
(ख) पुत्रियां 1..... 2..... 3.....  
.....  
(ग) धर्मपत्नी 1.....  
(घ) माता 1.....  
(च) पिता 1.....

4. उक्त उत्तराधिकारियों व मेरे अतिरिक्त ..... (मृतक का नाम) के अन्य  
कोई उत्तराधिकारी नहीं हैं। उक्त पंजीकरण/आवंटित मकान/फ्लैट को मेरे नाम हस्तान्तरित  
करने में मृतक उत्तराधिकारी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

समस्त उत्तराधिकारियों के घोषणा पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत हैं।

शपथ ग्रहिता

शपथ तस्दीक

मैं ..... उपरोक्त शपथ ग्रहिता सशपथ तस्दीक करता  
हूँ/करती हूँ कि शपथ पत्र के मद संख्या 1 से 4 तक मेरे निजी ज्ञान से विल्कुल सत्य हैं, इसमें  
मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। अतः ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथ ग्रहिता,




नोट :- नोटरी/प्रथम श्रेणी दण्डनायक से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें।

मृत्यु उपरांत नामान्तर हेतु 15.07.20

केवल 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर

### घोषणा पत्र

हम निम्न घोषणाकर्ता, जो कि मृतक श्री .....  
पुत्र/पुत्री/धर्मपत्नी ..... के वारिसान है, एतद  
द्वारा घोषणा करते है, जो पंजीकरण/आवंटन मृतक श्री/श्रीमती/सुश्री .....  
के ..... नाम हस्तान्तरित कर दिया  
जावे, उसमें हम को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है और इस संबंध में हम अपने  
अधिकारों को त्याग करते हैं. हमारे अतिरिक्त अन्य कोई उक्त हस्तान्तरण के संबंध में  
आपत्ति करेगा, तो समस्त दायित्व हमारा होगा।

नाम	सम्बन्ध	हस्ताक्षर	फोटो
1.			
2.			
3.			

नोट :- 1. घोषणा पत्र शपथ पत्र व क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र नोटरी/प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करें।  
2. पंजीकृत आवेद/आवंटी की मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित छाया प्रति भी संलग्न करें।

मृत्यु उपरांत नामांतरण हेतु. 15 जुलाई 20 से ..